बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांकः–02 / विविध (सिरिज)–63 / 2014, परि0 पटना, दिनांक–.................

आदेश

विभागीय आदेश संख्या–296 दिनांक–20.01.2017 द्वारा जिला परिवहन कार्यालय, बेतिया के अंतर्गत डीलर प्वाइंट पर निजी वाहनों के निबंधन पर रोक लगाया गया था। जिला परिवहन पदाधिकारी, बेतिया ने अपने पत्रांक–210 दिनांक–24.04.2017 द्वारा निबंधित डीलरों से निबंधन प्रमाण–पत्र के लंबित नही होने संबंधी प्रतिवेदन संलग्न करते हुए विभाग से डीलर प्वाइंट पर पुनः निजी वाहनो के निबंधन हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

अतः जिला परिवहन पदाधिकारी, बेतिया के उपर्युक्त अनुरोध एवं समर्पित साक्ष्यों के आधार पर जिला परिवहन कार्यालय, बेतिया के अंतर्गत डीलर प्वाइंट पर निजी वाहनों के निबंधन हेतु अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि डीलर प्वाइंट पर निबंधन प्रमाण–पत्र लंबित नहीं रहना जिला परिवहन पदाधिकारी, बेतिया द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

ह0 / –
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

E-mail

ज्ञापांकः–02 / विविध (सिरिज)–63 / 2014, परि0 2847 पटना, दिनांक– 29/5/17

प्रतिलिपिः– जिला परिवहन पदाधिकारी, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/5

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

E:\OFFICE WORKS\SECTOIN -0 2\VINIT 2015\Series Allotment.Doc